कार्यालय नियत प्राधिकारी / उप जिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी।

पत्रांक :– 55V/वि०क्षे०लि०

दिनांक : 16 फरवरी, 2018

खालिद मसूद (निदेशक)
शालीमार कार्प लि०
मोहम्मदपुर चौकी, बाराबंकी।

विषयः पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

खालिद मसूद निदेशक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो शालीमार कार्प लि० द्वारा शालीमार पैराडाईज के आराजी नं0 266, 267, 268, 271, 273, 275, 276 278, 280, 281, 282, 283, 284, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 346, 347, 349, 351, 352, 353, 354, 355 ग्राम मोहम्मदपुर चौकी जनपद बाराबंकी में विकसित कालोनी की पूर्णता प्रमाण पत्र चाहा गया है।

1. प्रश्नगत स्थल का संशोधित तल–पट मानचित्र सं0 195/2015 दिनांक 18.02.2016 को स्वीकृत है।
2. इस स्थल का ब्लाक–ए में कुल 14, ब्लाक–बी मे 12, ब्लाक–सी में 16, ब्लाक–डी में 16, ब्लाक–ई में 13, ब्लाक–एफ में 18, ब्लाक–जी में 05, ब्लाक–एच में 4 तथा ब्लाक–जे में 03 विलाज तथा कुल 101 विलाजों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा मौके पर स्वीकृत संसोधित तल–पट मानचित्र सं0 195/2015 के अनुसार सड़कें, पार्क, विद्युत, नाली व अन्य विकास कार्य किये गये हैं।
3. स्थल पर लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा है।

अतः प्रत्येक वर्ष अग्नि शमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवर व्यवस्था विद्युत आपूर्ति प्रणाली एवं अवस्थापना जन सुविधाओं से सम्बन्धित सभी कार्य व्यवस्थित रखने की शर्त पर पूर्णता प्रमाण पत्र के अधीन अवशेष निर्माण में दी गयी समय सीमा में पूर्ण करने की शर्त के साथ पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

स्थल पर किसी भी प्रकार का विचलन पाये जाने पर विनियमित क्षेत्र बाराबंकी द्वारा निर्गत पूर्णतया प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

नियत प्राधिकारी / उप जिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी।

Scanned by CamScanner